कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-287 दिनांक: 25/9/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 37 वीं दिनांक 18-9-2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0 37वीं दिनांक 18-9-2002 प्रात:/सायं 11:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
9. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा,जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन....................,जविप्रा,जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 37वीं बैठक दिनांक 18-9-2002 में निम्नलिखित प्रकरण में भी विचार-विमर्श किया गया-

(1) विषयः- श्री जनता गृ.नि.स.स. की योजना प्रेम नगर, झोंटवाडा बाबत।

भूखण्ड संख्या ई-29बी, ई-29ए व ई-29-I को योजना का भाग मानते हुये नियमित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(2) विषयः- नवजीवन गृ.नि.स.स. की योजना दादीबाडी योजना(जोन बी-3)

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार दादीबाडी योजना के बीच में स्थित 2305.5 वर्ग गज भूमि पर खातेदार के पक्के मकान, कुंआ इत्यादि बने हुए है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी खातेदार श्री रहमत खाँ के नाम दर्ज है। पूर्व में इसका अनुमोदन इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि यह भूखण्ड खातेदार द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचा नहीं गया था। वाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-

1. चूंकि उक्त भूभाग को योजना के आवासीय क्षेत्रफल में शामिल करने पर आवासीय प्रतिशत 54.76 होता है। अतः इसे योजना का भाग माने जाने की स्वीकृति दी गयी।
2. चूंकि भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक है अतः रूपान्तरण बाबत राज्य सरकार से नियमानुसार स्वीकृति ली जावें।

(3) विषयः- शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.स. की योजना निलगीरी विस्तार-III(जोन बी-3):-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर योजना का अनुमोदन निम्न शर्तो के साथ किया गया-

1. मास्टर विकास योजना 2011 में प्रश्नगत योजना का भू उपयोग ग्रीन बेल्ट है अतः इसका भू उपयोग ग्रीन बेल्ट से आवासीय में परिवर्तित किया जाये।
2. योजना में सभी आन्तरिक सडकों की चौडाई न्यूनतम 30फिट रखी जावें।
3. योजना के भूखण्ड सं0 10, 11, 12 के ऊपर से एल.टी. लाईन गुजरती है। अतः जब तक एल.टी. लाईन शिफ्ट नहीं हो जाती तब तक भूखण्डों को अनुमोदित नहीं किया जावें।
4. भूखण्ड सं0 17 व 24 के साथ में स्थित रिक्त भूमि व भूखण्ड सं0 16 कुंआ होने के कारण इन्हें सुविधा क्षेत्र में रखा जावें।
5. भूखण्ड सं0 6 व 6ए में मौके पर उद्योग चल रहे है। अतः भूखण्डधारी को उद्योग बन्द करने हेतु नियमानुसार नोटिस दिया जावें और जब तक उद्योग बन्द नहीं हो जाते तब तक भूखण्ड अनुमोदित नहीं किया जावें।
6. भूखण्ड सं0 1 से 6 के पश्चिम में स्थित रोड को 30 फिट के स्थान पर 40फिट किया जावें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 37वीं बैठक दिनांक 18-9-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हरि नगर गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : हरि नगर तृतीय
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ग्राम देवरी, ख.नं. 19 व स्वेज फार्म ख.नं. 21
4. सैक्टर नंबर जोन B-2 :

विषय:- हरी नगर गृ.नि.स.स. की योजना हरी नगर 3 के योजना मानचित्र अनुमोदन के संबंध में ।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-

1- योजना के अन्दर की 30-0" से कम चौडी सड़कों को 30-0" किया जावे ।

2- नाले के किनारे 60-0" चौड़ी सड़क दर्शायी जावे ।

3- भू.सं. 48 से 59, 63 व 74 नाले में है इसलिए इन भूखंडो को अस्वीकृत किया जावे ।

4- योजना स्वेज फार्म की अवाप्ती में है इसलिए इस क्षेत्र की नियमन दर तय होने के पश्चात् ही नियमन की कार्यवाही की जावे ।

5- योजना में आवासीय क्षेत्रफल 60% अपुज्ञेय है । योजना में 60 भूखंडो में से 42 भूखंड निर्मित है इसलिए अधिक आवासीय क्षेत्रफल के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 के अनुसार शिथिलता दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 37वीं बैठक दिनांक 18-9-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन B-2 :

विषय:- हरि नगर गृ.नि.स.स. की योजना शर्मा कॉलोनी विस्तार के अनुमोदन के संबंध में ।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । मौके पर अधिकतर भूखंडो में औद्योगिक इकाइयां है इसलिए योजना अस्वीकृत कर भूखंड-धारियों को धारा 32 के तहत जोन द्वारा नोटिस दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 37वीं बैठक दिनांक 18-9-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : लक्ष्मी नगर गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : राम विहार (स्कीम नं.60)
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ग्राम पालडी मीणा ख.नं. 600,599/900, 605,605/901
4. सैक्टर नंबर जोन C-2

विषय:- लक्ष्मी गृ.नि.स.स. की योजना रामबिहार के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् इस योजना की भूमि का उपयोग इकोलोजिकल क्षेत्र है इसलिए इकोलोजिकल क्षेत्र से आवासीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन करने की शर्त पर समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना मानचित्र को स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...37वीं...बैठक दिनांक....18-9-02
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन C-2 :

विषय:- लक्ष्मी गृ.नि.स.स. की योजना करीम नगर ग्राम खो नागोरियान के अनुमोदन के संबंध में ।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । योजना आवासीय क्षेत्रफल 71.65% है । मौके पर कुछ ब्लाक में भूखंड मौके पर रिक्त है इसलिए रिक्त भूखंड ब्लाको में भूखंडो की साइज कम कर सुविधा क्षेत्र दर्शाया जावे तथा तदानुसार संशोधित योजना मानचित्र तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..37वीं.....बैठक दिनांक...18-9-02.............

का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
   समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन C-2 :

विषय:- बन्धु गृ.नि.स.स. की योजना देव विहार ग्राम पालड़ी मीणा के भू.सं. 15 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। स्वीकृत योजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रफल 59.12% है तथा इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने पर आवासीय क्षेत्रफल 60.90% होता है। समिति ने विचार-विमर्श कर निर्णय लिया कि योजना के आवासीय क्षेत्रफल में अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए भू.सं. 15 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। साथ में यह भी निर्णय लिया कि प्रार्थी से एक शपथ पत्र लिया जावे कि उसके पास अन्य भूखण्ड नहीं है।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 37वीं बैठक दिनांक 18-9-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन C-2 :

विषयः- हरि नगर गृ.नि.सं.स. की योजना श्री नाथ नगर की स्वीकृत योजना में 160-0" चौड़ी सड़क की स्थिति परिवर्तन के संबंध में ।

इस योजना का योजना मानचित्र भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 2-3-02 में स्वीकृत किया गया था । इस योजना में दर्शायी 160-0" चौडी सड़क में कई मकान निर्मित होने के कारण समिति के सदस्यों ने कैम्प का बहिष्कार किया । बृद्ध सिंहपुरा चक गैटोर विकास समिति ने दिनांक 31.7.02 को एक प्रतिवेदन मंत्री महोदय को दिया । जिस पर कार्यवाही करने के मंत्री महोदय ने निर्देश दिये । निर्देशानुसार उपायुक्त जोन ने इस सड़क की स्थिति परिवर्तन के संबंध में एजेण्डा तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया । इस सड़क के कारण श्री नाथ नगर, दीपक कॉलोनी, गणेश नगर, राधा गोविन्द नगर योजना प्रभावित है । 160-0" चौडी सड़क का नया प्रस्ताव तैयार किया गया है वह नाले के आस-पास व राजकीय भूमि को शामिल करते हुए है इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि प्रस्तावित सड़क की स्थिति के संबंध में जोनल अभियन्ता से तकनीकी जाँच करवाकर टिप्पणी के साथ 160-0" चौड़ी सड़क का प्रस्ताव लिया जावे । प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण को निर्णयार्थ आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 37वीं बैठक दिनांक 18-9-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन C-2 :

विषय:- शिव शंकर गृ॰नि॰स॰स॰ की योजना पशुपति नाथ नगर के अनुमोदन के संबंध में ।

उपरायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया ।विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखंड संख्या 123 से 131 पूर्ण रूप से एवं भू॰सं॰ 122,132 से 137 आंशिक भाग ख॰नं॰ 466 में है जो हाउसिंग बोर्ड की अवाप्ती में है, भू॰सं॰ 325ए,342ए,355ए में सैट बैक छोडने के पश्चात् इन भूखंडो में आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होता है । भू॰सं॰ 9 से 15,41,53,54,284से 287, 321 हाईटेंशन लाइन के नीचे है दुकान नं॰ 35 से 40 एवं 3ए से 6ए के सामने पार्किंग नहीं है इसलिए उपरोक्त सभी भूखंड अस्वीकृत योग्य है शेष योजना स्वीकृत योग्य हैं इस योजना के समीप स्वीकृत योजना श्री नाथ नगर है । श्री नाथ नगर योजना में 160-0" चौड़ी सड़क सेक्टर प्लान के अनुसार स्वीकृत है । बुद्धसिंहपुरा विकास समिति ने इस सड़क में मौके पर अत्यधिक निर्माण होने के कारण सड़क की स्थिति बदलने के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो समिति के समक्ष विचाराधीन है । इस सड़क की स्थिति बदले जाने की स्थिति में 160 फीट चौड़ी सड़क भू॰सं॰ 7 से 28 के दि॰ पश्चिम की ओर से गुजरती है । प्रस्तुत योजना मानचित्र में इन भूखंडो के पीछे (पूर्व की ओर) 60-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित है । निदेशक नगर आयोजना ने समिति के सदस्यो को अवगत कराया कि 160-0" चाड़ी सड़क की परिवर्तन होने की स्थिति में 60-0" चौड़ी सड़क की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है इसलिए 160-0" चौड़ी सड़क की स्थिति के परिवर्तन के संबध में निर्णय लिए जाने के पश्चात् सहकारी समिति से निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 60-0" चौड़ी सड़क को समाप्त करते हुए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संशोधित योजना मानचित्र लिए जावे ।

(हस्ताक्षर)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 18.09.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. भारत भवन गृ.नि.स.स. की योजना (शान्ति नगर) यूनिट नं0 3 में सरकारी भूमि पर किये गये अतिकमण को नियमित करने बाबत। (जोन ए-2)
2. लालकोठी योजना में सत्य विहार योजना के भूखण्ड संख्या 1 व 1ए का नियमन किये जाने बाबत। (लालकोठी जोन)
3. श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की पदम विहार ग्राम- शिवदासपुरा के खसरा नं0 1749, 1809 के भूखण्ड सं0 7, 10 व 11 के नियमन के संबंध में (जोन डी-1)

उपरोक्त एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 18.9.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में जोन ए-2 की भारत भवन गृ.नि.स.स. की योजना (शान्ति नगर) यूनिट नं0 3 में सरकारी भूमि पर किये अतिकमण को नियमित करने बाबत प्रस्तुत एजेण्डा पर वाद विचार-विमर्श पश्चात् तय किया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा समिति के सदस्यों को मौका दिखाया जावें।

2. बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 18.9.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में जोन लालकोठी की लालकोठी योजना में सत्य विहार योजना के भूखण्ड संख्या 1 व 1ए का नियमन किये जाने बाबत प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि श्री हरिसिंह द्वारा दिये गये ज्ञापन के परिपेक्ष में उपायुक्त द्वारा पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात् मामले का निस्तारण उनके स्तर पर किया जावें।

3. बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 18.9.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में जोन डी-1 की श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की पदम विहार ग्राम- शिवदासपुरा के खसरा नं0 1749, 1809 के भूखण्ड सं0 7, 10 व 11 के नियमन के संबंध में प्रस्तुत एजेण्डा पर निर्णय लिया गया कि:-
   1- भूखण्ड सं0 7,10 जो पूर्व अनुमोदित मानचित्र के अनुसार नियमन योग्य थे किन्तु कार्यवाही विवरण में नियमन योग्य भूखण्डों की सूची में शामिल होने से रह गये थे अतः भूखण्ड सं0 7 व 10 को नियमन योग्य भूखण्डों की सूची में शामिल किया जावें।
   2- भूखण्ड सं0 11 का अधिकांश भाग सडक सीमा से प्रभावित होने के कारण एवं न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल कम उपलब्ध होने के कारण इसका नियमन नहीं किया जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)
जविप्रा, जयपुर

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की 37वीं बैठक दिनांक 18-9-2002 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1.	श्री अशोक तंवर, विधायक	सदस्य
2.	श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य	सदस्य
3.	श्री रोहित कुमार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
4.	श्री एस.सी.महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा,जयपुर।	सदस्य
5.	श्रीमती शुचि शर्मा, अति.आयुक्त(भूमि)पूर्व, जविप्रा,जयपुर।	सदस्य
6.	श्री ओ.पी.यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर।	सदस्य
7.	श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी)	सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,
2. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक,(बीपीसी),जविप्रा,जयपुर।
3. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
4. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
5. श्री महेन्द्र सोनी, उपायुक्त जोन ए-2, जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती सीमा सिंह,उपायुक्त जोन बी-2,जविप्रा,जयपुर।
7. श्री वी.पी. सिंह, उपायुक्त जोन बी-3,जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती रश्मी गुप्ता, उपायुक्त जोन बी-7, जविप्रा,जयपुर।
9. श्री निरंजन खींचा, उपायुक्त, जोन लालकोठी, जविप्रा, जयपुर।
10. श्रीमती दुर्गा जोशी, उपायुक्त जोन डी-1, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री खान मोहम्मद, उपायुक्त जोन डी-2, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री एस.सी. मीणा, जन सम्पर्क अधिकारी,जविप्रा,जयपुर।
13. श्री हरकीरत सिंह, उपरजिस्ट्रार(सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
14. श्री अनन्त देव टांक, उप नगर नियोजक, लालकोठी, जविप्रा,जयपुर।
15. श्री हरिप्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-3,जविप्रा,जयपुर।
16. श्री गिरीश शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-2, जविप्रा,जयपुर।